संख्या–985 / 71–4–2019–07 / 2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 17 जून, 2019

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2019 / 1889, दिनांक 07.06.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट यू0जी0–2019 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र–2019–20 में प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कालेजों / विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों / डीम्ड विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. तकनीकी संस्था का नामांकन–

शैक्षणिक सत्र–2019–20 में राजकीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल / डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु नीट यू0जी0–2019 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग / प्रवेश हेतु छात्रों का ऑन लाईन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान एवं छात्रों की स्टेट मेरिट सूची तैयार किये जाने आदि की कार्यवाही हेतु National Informatics Center (NIC) को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। तकनीकी संस्था द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की देख–रेख में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मेरिट सूची के आधार पर श्रेणीवार (अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी) राज्य मेरिट सूची तैयार की जायेगी। उक्त के साथ–साथ डा0 ए0के0 सिंह, परीक्षा नियंत्रक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ को नीट यू0जी0 2019 हेतु परामर्शदाता व डा0 अनूप कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ को अतिरिक्त परामर्शदाता के रूप में भी नामित किया जाता है।

2. विवरण पुस्तिका (ब्रोशर)

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एक समिति गठित कर अपनी देख–रेख में शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों / नीति के अनुपालन में नीट यू0जी0–2019 हेतु एक विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार की जायेगी, जिसमें समस्त

निर्धारित प्रारूप पत्रों को संलग्नक के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ब्रोशर में प्रकाशित समस्त सूचनाएँ/तथ्य एवं निर्धारित प्रारूप शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों के अनुसार हो।

3. **अर्हतायें (Eligibility)**

(1)राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हतायें (Eligibility)

- ऐसे छात्र जिन्होने NEET यू0जी0 2019 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो, नीट उत्तीर्ण किया हो तथा निर्धारित ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाईट https://upneet.gov.in पर पंजीकरण कराया हो, ही कांउसिलिंग हेतु अर्ह मानें जायेंगे। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के कम में प्राप्त प्रिंट आउट अनुमन्य होगा।
- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थान/डेण्टल कालेज में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो उनके लिए डोमिसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। शेष अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय निर्धारित किये गये प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत "डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नही होगा।

नोटः–

नीट यू0जी0–2019 में डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–157/तीन–2003–77(11)/ 83 दिनांक 18.02.2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है, उसी पर डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ब्रोशर में इस हेतु अलग से कोई प्रारूप टंकित नहीं किया जायेगा। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा डोमीसाइल/सामान्य निवास संबंधी शासनादेश दिनांक 18.02.2003 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने संबंधी व्यवस्था को नीट–2019 व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा तथा इस संबंध में व्यापक प्रसार वाले राष्ट्रीय व स्थानीय हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जाएगा।

(2) शैक्षिक अर्हतायें (**NEET UG 2019 के Brochure के अनुसार**)

Eligibility for appearing in NEET (UG) is as stipulated in **Indian Medical Council Act-1956 and the Dentists Act-1948 as amended in 2018.**

Eligibility as per related Regulations is as follows:-

i. He/she has completed age of 17 years at the time of admission or will complete that age on or before 31st December of the year of his/her admission to the 1st year MBBS/BDS Course.

ii. The upper age limit for NEET (UG) is 25 years as on the date of examination with relaxation of 5 years for the candidates belonging to SC/ST/OBC category and persons entitled for reservation under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

The Age criteria for appearing in NEET (UG) - 2019 is as follows:

For Candidates of Unreserved Category (UR)	**born on or between 05.05.1994 and 31.12.2002**
For Candidates of SC/ST/OBC/PwD Category	**born on or between 05.05.1989 and 31.12.2002**

iii. Indian Citizens/ Overseas Citizens of India intending to pursue MBBS/ BDS from a foreign Medical/ Dental Institute also need to qualify NEET (UG).
(As per letter No. V.11011/14/2018-MEC/MEP dated 17.10.2018 of MoH&FW)

2. Eligibility for seats under the control of States/Deemed Universities/Central Universities/ESIC and AFMC including Delhi University (DU), BHU & AMU/central pool quota

i. Indian Nationals, Non Resident Indians (NRIs), Overseas Citizen of India (OCI), Persons with Indian Origin (PIO) and Foreign Nationals are eligible for admission in Medical/Dental Colleges subject to rules and regulations framed by the respective State Governments, Institutions and the Government of India as the case may be.

ii. Foreign nationals may confirm their eligibility from the concerned Medical/Dental College/State.

3. Eligibility for 15% All India Quota seats

a) Indian Nationals, Non Resident Indians (NRIs), Overseas Citizen of India (OCI), Persons of Indian Origin (PIO) and Foreign Nationals are eligible for 15% All India Quota Seats.

b) **Candidates from State of J & K**

i. Students from State of J & K are not eligible for 15% All India Quota seats as State of J&K has opted out of All India Scheme since its inception. If they claim eligibility, they must submit **online Self Declaration** which will be generated and printed automatically along with confirmation page for the record and to present the same during counseling. The **Self-Declaration Form** is given in **Appendix III.**

ii. The online Self Declaration of the candidates will be verified at the time of counseling and if found to be false at any time, the candidature/admission of such candidates shall be cancelled and **criminal proceedings** may be initiated against such candidates.

iii. Candidates from the State of J & K can appear in NEET (UG) for admission to Private Medical/Dental Colleges or any Private/Deemed University and Armed Forces Medical College (AFMC), Pune subject to the fulfillment of eligibility conditions.

Qualifications and Qualifying Examination Codes

CODE : 01	A candidate who is appearing in the qualifying examination, i.e., 12th Standard in 2019, whose result is awaited, may apply and take up the said test but he/she shall not be eligible for admission to the MBBS or BDS, if he/she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage of marks at the time of first round of Counseling.
OR	
CODE : 02	The Higher/Senior Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 Higher/Senior Secondary Examination after a period of 12 years study, the last two years of such study comprising of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology (which shall include practical tests in these subjects) and Mathematics or any other elective subject with 12 English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National

	Council of Educational Research and Training after introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education. Candidates who have passed 10+2 from Open School or as private candidates shall not be eligible to appear for 'National Eligibility Cum Entrance Test'. Furthermore, study of Biology/Biotechnology as an Additional Subject at 10+2 level also shall not be permissible. The proviso in italics has been subject matter of challenge before the Hon'ble High Court of Delhi, Hon'ble High Court of Allahabad, Lucknow Bench and Hon'ble High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur. The provisions of the regulations disqualifying recognized Open School Board candidates and the candidates who have studied Biology/Biotechnology as an additional Subject has been struck down. "The Medical Council of India has preferred Special Leave Petitions before the Hon'ble Supreme Court and Appeals in the Hon'ble High Courts. Therefore, the candidatures of candidates in the NEET (UG)-2019 who have passed the qualifying examinations i.e. 10+2 from National Institute of Open Schooling or State Open Schools or as private candidates from recognized State Boards; or with Biology/Biotechnology as additional subject shall be allowed but subject to the outcome of Special Leave Petitions/Appeals filed by the Medical Council of India".
OR	
CODE : 03	The Intermediate/Pre-degree Examination in Science of an Indian University/Board or other recognised examining body with Physics, Chemistry, Biology /Bio-technology (which shall include practical test in these subjects) and also English as a compulsory subject.
OR	
CODE : 04	The Pre-professional/Pre-medical Examination with Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology & English after passing either the Higher Secondary Examination or the Pre-University or an equivalent examination. The Pre-professional/Pre-medical examination shall include practical tests in these subjects and also English as a compulsory subject.
OR	
CODE : 05	The first year of the three years' degree course of a recognised University with Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology including practical tests in these subjects provided the examination is a University Examination and candidate has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology/ Biotechnology with English at a level not less than a core course.
OR	
CODE : 06	B.Sc. Examination of an Indian University provided that he/she has passed the B.Sc. Examination with not less than two of the subjects Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Bio-technology and further that he/ she has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology and English.
OR	
CODE : 07	Any other examination which in scope and standard (Last 02 years of 10+2 Study comprising of Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology; which shall include practical test in these subjects) is found to be equivalent to the Intermediate Science Examination of an Indian University/Board, taking Physics, Chemistry

	and Biology/Bio-technology including practical tests in each of these subjects and English.

- Provided that to be eligible for NEET (UG) - 2019, candidate must have passed any of the qualifying examinations as enumerated above or appearing in the qualifying examination in 2019. Provided also that to be eligible for NEET (UG) - 2019, the candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology at the qualifying examination as mentioned in clause (2) of Regulation 4 on Graduate Medical Education Regulations, 1997 as amended in 2018 and in addition must have come in the merit list of NEET (UG) - 2019 for admission to MBBS/BDS Courses.
- In respect of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, the marks obtained in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 40% marks instead of 50% marks for Unreserved Candidates and 40% for SC/ST/OBC candidates. In respect of PwD candidates specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology (or Botany &Zoology)/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 45% instead of 50% for Unreserved category candidates.
- Provided further that the students educated abroad seeking admission into medical colleges in India must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English up to the 12th standard level with 50% marks and their equivalency determined by Association of Indian Universities (AIU) as per regulations of the Medical Council of India and the concerned University.
- If a candidate does not fall within the qualifications prescribed as per Code number 01-07, he/she should furnish complete details to determine eligibility.

Note:

- The Pre-medical course may be conducted either at a Medical College or at a Science College.
- Marks obtained in Mathematics are not to be considered for eligibility for admission to MBBS/BDS Courses.
- The candidates who have studied from the Foreign/International Board should ensure that the qualifying

  examination passed by them are, in scope and standard, as explained in CODE:07.

➢ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 न्यायालय के आदेश के कम में यदि एम0सी0आई0 द्वारा अर्हता में परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

4. <u>अभिलेखों का सत्यापन</u>

निम्नलिखित अभिलेखों का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा कराया जायेगा:-

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र।
3. सामान्य प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा)।

अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेन्टर

उक्त उल्लिखित अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नांकित मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान में मूल अभिलेखों सहित स्वयं उपस्थिति होना होगा। उपस्थित होने हेतु तिथि एवं समय की सूचना पृथक से एन0आई0सी0 की वेबसाईट *https://upneet.gov.in* तथा विभाग की वेबसाईट *www.updgme.in* पर प्रदर्शित की जायेगी। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

क्र	मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान का (सेण्टर का नाम)
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
2	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ
3	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर
4	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा
5	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ
6	एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झाँसी
7	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर
8	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज
9	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
10	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
11	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
12	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
13	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
14	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
15	राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा
16	राजकीय मेडिकल कालेज, बदाँयू
17	स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज, अयोध्या

यू0पी0 नीट–2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने वाले नोडल सेंटर की सूची

क0	प्रस्तावित नोडल सेन्टर	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1. कैरियर इस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	1.कैरियर इस्टी0 आफ डेन्टल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ
		2.एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ	
		3.टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ	
		4.इंटीग्रल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, लखनऊ	
		5 प्रसाद इस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	
2.	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ	6. हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी	2.सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट आफ डेन्टल साइन्सेज, लखनऊ
		7.मेयो इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, बाराबंकी	3.बी0बी0डी0 कालेज आफ डेन्टल साइन्सेज, लखनऊ
		8. हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, सीतापुर	
3.	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	9. रामा इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, कानपुर	4.रामा डेन्टल कालेज, कानपुर
		10 सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव	5.महाराणा प्रताप डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर

			6.सरस्वती डेन्टल कालेज, एण्ड रिसर्च, लखनऊ
			7.चन्द्रा डेन्टल कालेज, बाराबंकी
4.	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा	11. के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा	8.के0डी0 डेन्टल कालेज, मथुरा
		12. एफ0एच0 मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद	9.आई0डी0एस0 डेन्टल कालेज, बरेली 10.आई0डी0एस0टी0 डेन्टल कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद
		13. कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, मथुरा	
		14. श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बरेली	
		15. राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली	
		16. रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली	
5.	एल0एल0आर0 एम0 मेडिकल कालेज मेरठ	17. सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	11.सुभारती डेन्टल कालेज, मेरठ
		18. रामा मेडिकल एण्ड हॉस्पिटल, हापुड़	12.कालका डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ
		19.जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड़	13.इन्द्रप्रस्थ डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, गाजियाबाद
		20.सरस्वती इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, हापुड़	14.कोठीवाल डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च, मुरादाबाद
		21.तीर्थंकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद	15.तीर्थंकर महावीर डेन्टल कालेज, मुरादाबाद
6.	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज इलाहाबाद	22.हेरिटेज इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, वाराणसी	
7.	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर		16.पूर्वांचल इंस्टीटयूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर
			17.डेन्टल कालेज, आजमगढ़
8.	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	23.मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर	18.आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेन्टल साइंस मुरादनगर गाजियाबाद
		24.स्कूल आफ मेडिकल साइन्सेज (शारदा यूनिवर्सिटी), ग्रेटर नोएडा	19.डी0जे0 कालेज आफ डेन्टल साइन्स एण्ड रिसर्च, मोदीनगर गाजियाबाद
			20.श्री बांके बिहारी डेन्टल कालेज, गाजियाबाद
			21.स्कूल आफ डेन्टल साइन्सेज (शारदा यूनिवर्सिटी), ग्रेटर नोएडा
			22.आई0टी0एस0 कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा

नोडल सेन्टरों/मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा उनके मेडिकल कालेज में स्थापित बैंकों को धरोहर धनराशि एवं अन्य संगत ड्राफ्ट बनाये जाने के संबंध में अवकाश के दिनों में भी सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु यथोचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

5. पंजीकरण शुल्क

नीट यू0जी0 2019 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/— प्रति अभ्यर्थी (दोनों चक्रों की कांउसिलिंग हेतु) तथा मॉप अप राउण्ड हेतु रू0 1000/— प्रति अभ्यर्थी (मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियो

को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा)। पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से जमा कराया जायेगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा।

6. धरोहर धनराशि (Security Money)

स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो की सीट हेतु रू0 30,000/– (रू0 तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीट हेतु रू0 2,00,000/–(रू0 दो लाख मात्र) एवं निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों की सीट हेतु रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में एलाटमेन्ट लेटर डाउनलोड करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) अभ्यर्थी को वापस पर की जायेगी। जिन अभ्यर्थियो द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्राप्त नहीं किया जाएगा उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी।

7. ऑल इण्डिया कोटा की समर्पित सीटों के सम्बन्ध में

ऑल इण्डिया की द्वितीय कांउसिलिंग के पश्चात प्रदेश को समर्पित रिक्त सीटों की काउंसिलिंग में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका आशीष रंजन व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. त्याग–पत्र दिये जाने के संबंध में

रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार–उस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के संबंध में द्वितीय चक की काउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम कांउसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात् अभ्यर्थी ऑल इण्डिया या अन्य प्रदेश की कांउसिलिंग के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम कांउसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है **(त्यागपत्र के समय किसी अन्य कांउसिलिंग से आंवटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)** तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक की कांउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग से दो दिन **(उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 24.07.2019 से प्रारम्भ है तो अभ्यर्थी 21.07.2019 को सायं 04:00 बजे तक)** पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकते हैं ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा सम्पूर्ण शैक्षणिक शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए वापस किया जायेगा:–

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस कर दी जायेगी।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।
- निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, यदि अभ्यर्थी द्वारा त्याग पत्र देकर सीट रिक्त की जाती है, तो उसके द्वारा जमा किया गया समस्त शिक्षण शुल्क तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

9. <u>कांउसिलिंग बोर्ड</u>

नीट यू0जी0 2019 की मेरिट सूची के आधार पर तैयार की गयी स्टेट मेरिट सूची के अनुसार निम्नानुसार गठित काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:—

कांउसिलिंग बोर्ड में शामिल अधिकारियों का नाम/पदनाम	प्रास्थिति
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधि।	श्री अनिल कुमार सिंह, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन—सदस्य
राजकीय मेडिकल कालेजों के विभिन्न श्रेणी के प्रधानाचार्य/प्रोफेसर।	1. अनुसूचित जाति— डा0 राकेश कुमार दीवान, अपर आचार्य, के0जी0एम0यू0, लखनऊ—सदस्य। 2. अन्य पिछड़ा वर्ग— डा0 दिलीप कुमार वर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, फिजियोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ—सदस्य। 3. अनारक्षित श्रेणी— डा0 संदीप भट्टाचार्य, आचार्य, फिजियोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ—सदस्य। 4. अल्पसंख्यक श्रेणी— डा0 राहत हादी, अपर आचार्य, रेडियोथिरेपी विभाग, डा0 आर0एम0एल0 संस्थान, लखनऊ—सदस्य।
मुख्यालय से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल एसोसिएशन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य (प्रत्येक एसोसिएशन द्वारा नामित 01—01 प्रतिनिधि)
अल्पसंख्यक संस्थाओं—एराज मेडिकल कालेज, लखनऊ, तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
निदेशक/राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सह सदस्य
परामर्शदाता।	डा0 ए0के0 सिंह, परीक्षा नियंत्रक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
अतिरिक्त परामर्शदाता।	डा0 अनूप कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष, फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

10. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आरक्षण

(क) प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा:-

उर्ध्वाधर आरक्षण (वर्टिकल)

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

विशेष टिप्पणी

1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी०सी०-।। दिनांक 18.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार EWS का आरक्षण उन्हीं पुराने कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा जिनमें एम०सी०आई० द्वारा EWS के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी।
2. शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रारम्भ हुए नए राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य मेडिकल कालेज में वर्तमान प्रवेश क्षमता/सीटों पर EWS कोटा अनुमन्य किया जा सकता है।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा भारत सरकार/एम०सी०आई० से आवश्यक समन्वय कर उपर्युक्त दोनों बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा। एम०सी०आई० से प्राप्त मार्ग-दर्शन के आलोक में ही EWS आरक्षण लागू किया जाए।

क्षैतिज आरक्षण (हारिजेण्टल)

नीट यू०जी०-2019 मे विभिन्न श्रेणी के प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा:-

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत
5	'बी' ग्रेड सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन०सी०सी० कैडेट	01 प्रतिशत

भारत का राजपत्र, एम०सी०आई० की संशोधित अधिसूचना दिनांक 23.01.2018 "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन) 2017" के बिन्दु-6 "दाखिला, चयन, अंतरण और प्रशिक्षण" में उल्लिखित है कि शीर्षक के अंतर्गत अध्याय II में खण्ड 4 (3) मे "चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला-पात्रता मापदंड" को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"4(3) दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, अर्हक परीक्षा में एक साथ जोड़कर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान (या वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान)/जीव-प्रौधोगिकी में अर्हक परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत के बजाय 45 प्रतिशत होंगे तथा अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०व० हेतु 40 प्रतिशत होंगे।

वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें "राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" की मेरिट सूची के आधार पर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी। दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट वर्ग में आरक्षित सीटों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर, उन सीटों को सम्बन्धित श्रेणी में वार्षिक स्वीकृत सीटो में शामिल किया जायेगा।

(ख) उक्त के अतिरिक्त स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों क्रमशः राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में "वर्टिकल" आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का विभाजन निम्नवत किया गया है:–

क्र	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटे	भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटे	योग
1	अनुसूचित जाति	62	02	64
2	अनुसूचित जनजाति	05	01	06
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	04	15
4	अनारक्षित	07	08	15
	योग	85	15	100

स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी और शासनादेश संख्या–22 सी0एम0 (1)/26–3–2013 दिनांक 10.06.2013 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के रूप में कोई आरक्षण अनुमन्य नही है, अपितु विमुक्त जाति का अभ्यर्थी जिस श्रेणी के अन्तर्गत होगा, उसे उसी श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।

(ग) आरक्षित श्रेणी की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा:–

- कांउसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उपश्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व कांउसिलिंग बोर्ड का होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्व में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद के पुत्र/पुत्रियों) के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारुप पर दिये गये प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–18/1/2008–का0–2– 2015, दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।
- स्पेशल अपील संख्या–689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर–प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट यू0जी0 2019 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नही किया जायेगा।

- रिट याचिका संख्या–1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हॉरिजाण्टल आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.3.2017 को पारित आदेश/निर्णय में इंगित आब्जर्वेशन का अनुपालन के कम में क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर प्रश्नगत मामले में मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन अनुमन्य किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू0जी0 2019 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2019 या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।

दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के प्राविधानानुसार 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा और दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में नोडल सेन्टर/मेडिकल कालेजों में मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था का उल्लेख ब्रोशर में स्पष्ट रूप से करते हुए मेडिकल कालेजों में मेडिकल बोर्ड के बैठने की तिथि निश्चित करते हुए इसका उल्लेख ब्रोशर में किया जायेगा तथा ससमय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 के द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र हेतु जिन नोडल सेन्टर्स की सूची प्रकाशित की गयी है उनमें से कोई भी उ0प्र0 में अवस्थित नहीं है। अतः उ0प्र0 में आईएमएस, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी को उक्त कार्य हेतु नोडल सेन्टर बनाये जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाए।

11. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आरक्षण

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/डीम्ड विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नही होगा।

12 बाण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में

- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–950/71–2–82–/ 2017 दिनांक 07.03.2018 में प्रदान निर्देशो के कम में यह अवगत कराया गया है कि राजकीय मेडिकल कालेजो/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 02 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा। बाण्ड की धनराशि रू0 10 लाख होगी। सेवा के स्थान के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि "महानगरो को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।" उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07.03.2018 विभाग की वेबसाईट

www.updgme.in पर प्रदर्शित हो रहा है। सेवा बाण्ड से सम्बन्धित अन्य शर्तो के सम्बन्ध में शासनादेश का अवलोकन किया जायेगा।

13. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में

नीट यू0जी0–2019 की ऑन लाईन काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) जमा कराया जायेगा, ताकि काउंसिलिग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति किया जाना सम्भव हो सके।

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो/डेण्टल कालेजो/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगे एवं अल्प संख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे। साथ ही सम्बन्धित कालेज कांउसिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व सिक्योरिटी धनराशि तथा हास्टल फीस आदि का विवरण भी महानिदेशालय को भी उपलब्ध करायेंगे और अपने संस्था की वेबसाईट पर भी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे। महानिदेशालय को उपलब्ध करायी गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा हास्टल फीस आदि से सम्बन्धित सभी शुल्क की सूचना को भी निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

14. कांउसिलिंग प्रकिया

काउंसिलिंग प्रकिया प्रथम व द्वितीय चक में सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी को प्रथम चक से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा, आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक की कांउसिलिंग के लिए अर्ह होगे।

प्रथम चक से अनआवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक की कांउसिलिग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा इन्हें पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की आवश्यकता नही होगी। अभ्यर्थी प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को द्वितीय चक की काउंसिलिंग में Reshuffle कर सकता है। द्वितीय चक की काउंसिलिंग से Reshuffle होने के उपरान्त पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जायेगी, Reshuffle न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश ली गयी सीट यथावत बनी रहेगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक में सीट आवंटित हो जाती है और वे द्वितीय चक की काउंसिलिंग में भी भाग लेते हैं तथा द्वितीय चक की कार्उसिलिंग में भी उन्हें प्रथम चक में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है तो उन्हें द्वितीय चक की काउंसिलिंग के पश्चात् पुनः प्रवेश प्रकिया पूर्ण करनी होगी अन्यथा उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा और उक्त सीट को रिक्त मानते हुए मॉपअप राउण्ड से भर दिया जायेगा।

15. मॉप–अप राउण्ड

- माप–अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट यू0जी0–2019 के अर्ह अभ्यर्थियों को रू0 1000/– पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रकिया से जमा करते हुये एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि जमा है तथा उन्हे कोई आंवटन प्राप्त नही हुआ है, को पुन: पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य है परन्तु उन्हे सिक्योरिटी धनराशि जमा नही करनी होगी।
- माप–अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें नीट यू0पी0 यू0जी0 2019 की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- नीट यू0पी0 यू0जी0 2019 की प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी माप–अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रकिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- मॉप–अप राउण्ड के आयोजन स्थल के नाम की सूचना *https://upneet.gov.in & www.updgme.in* पर पृथक से प्रदर्शित की जायेगी।
- मॉप–अप राउण्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र मूलरूप मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर विचार नही किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 30,000/– तथा निजी क्षेत्र की मेडिकल सीटों हेतु रू0 2,00,000/– तथा निजी क्षेत्र की डेन्टल सीटों हेतु रू0 1,00,000/–की सिक्योरिटी धनराशि बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नकद (Cash) नही जमा की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय ही सम्बन्धित कालेज हेतु शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यदि मॉप–अप राउण्ड के सम्पन्न होने के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय की सीटे रिक्त रह जाती है तो ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से पंजीकरण के समय ही विकल्प प्राप्त किया जायेगा और

उक्त की सूची सम्बन्धित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

- नीट 2019 की पूर्व काउंसिलिंग के माध्यम से बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेशित है वह अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकेंगे। बी0डी0एस0 में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित कालेजों से त्यागपत्र देते हुए मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- इस आवंटन हेतु कोई पुनरावंटन (Reshuffeling) अनुमन्य नही होगा।

<u>मॉपअप राउण्ड हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह नही होंगे–</u>

- नीट यू0पी0 2019 की प्रथम/द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 आवंटन प्राप्त (प्रवेशित/आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी (अप्रवेशित)/त्यागपत्र दे चुके अभ्यर्थी।
- नीट 2019 15% All India Quota के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी।

16. <u>कांउसिलिंग हेतु समय सारणी</u>

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत किये जाने वाले समय–सारणी के दृष्टिगत समय–सारणी का निर्धारण किया जायेगा तथा उसका व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

17. <u>अन्य आवश्यक निर्देश</u>

- धरोहर धनराशि की वापसी हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय ही उनका बैंक एकाउन्ट, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा बैंक का नाम पंजीकरण के समय प्राप्त किया जायेगा।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यू0जी0 नीट प्रवेश प्रकिया से संबंधित दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances) के लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एक विशेष अधिकारी नामित किया जाएगा तथा ब्रोशर में व वेबसाइट पर उसका नाम, पदनाम व मोबाइल नम्बर प्रदर्शित किया जाएगा। महानिदेशक द्वारा नामित विशेष अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अभ्यर्थियों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करे।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

J.O. Neet ug 2019

संख्या–985(1)/71–4–19–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
7. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
10. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
12. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/2019/2006

लखनऊ,दिनांक– 19 जून,2019

उपरोक्त शासकीय पत्र दिनांक–17 जून, 2019 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–कुल सचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

2–निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

3–निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/ राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।

4–प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, बाँदा, बदायूँ।

5– समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल /डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय।

6– प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक